

शासनादेश संख्या-258/रा0-1/16(1)-73, दिनांक 05.03.1994 का आंशिक परिष्कार करते हुये उत्तर प्रदेश, राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2018 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या-35/740/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03.06.2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं आलोक सिंह, जिलाधिकारी ललितपुर संलग्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 05.03.1994 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ 6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ।

क्र.सं.	जिला	तहसील	परगना	गांव गांवसभा / स्थानीय प्राधिकारी	गाटा संख्या	क्षेत्रफल (हेक्टेअर में)	भूमि की श्रेणी / प्रकृति	विवरण:-प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है।
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ललितपुर	ललितपुर	ललितपुर	जाखलौन ग्राम सभा जाखलौन	523 532/1/2 606/4 752/4/1 कुल 04 किता	2,400 9,740 20,300 18,000 50,440	6-4, पहाड़	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन, लखनऊ के पत्र संख्या- 1088/81-2-2022-800 (103)/2021, दिनांक 18.05.2022 के क्रम में वन विभाग को उपलब्ध कराये जाने हेतु.

(आलोक सिंह)
जिलाधिकारी ललितपुर

कार्यालय जिलाधिकारी, ललितपुर

संख्या-2022/आठ-एल0ए0सी0-पुर्न0 (2022-23)

दिनांक मई 31, 2022

प्रतिलिपि:-

- 1- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
- 2- प्रमुख सचिव, उ0प्र0शासन, राजस्व अनुभाग-1, लखनऊ।
- 3- प्रमुख सचिव, उ0प्र0शासन, राजस्व अनुभाग-10, लखनऊ।
- 4- सचिव, राजस्व परिषद उ0प्र0, अनुभाग-5, लखनऊ।
- 5- प्रमुख सचिव, उ0प्र0 शासन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2, लखनऊ
- 6- निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0प्र0 इलाहाबाद को राजकीय गजट में प्रकाशनार्थ।
- 7- आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ
- 8- आयुक्त, झांसी मण्डल, झांसी
- 9- मुख्य वन संरक्षक, बुन्देलखण्ड जोन, उ0प्र0, झांसी
- 10- उप जिलाधिकारी, ललितपुर।
- 11- प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, ललितपुर।
- 12- प्रभागीय अधिकारी, नजारत कलैक्ट्रेट, ललितपुर को सूचना पट पर चरपा करने हेतु।
- 13- जिला सूचना अधिकारी, ललितपुर को स्थानीय समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशनार्थ।

तहसीलदार ललितपुर को तीन प्रतियों में इस आशय से कि आदेश की प्रति संबंधित तहसील भवन एवं संबंधित ग्राम के सहजदृश्य स्थान पर चरपा कराकर एक प्रति अपनी टिप्पणी सहित इस कार्यालय को वापिस करने हेतु।

(आलोक सिंह)

जिलाधिकारी ललितपुर

6-22
01/06/22

01/06/22